परियोजना का नाम :– जिला टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3.00 कि0मी0)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 16.05.2015 को उपरोक्त परियोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया है। संयुक्त निरीक्षण के समय निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि उपरोक्त परियोजन हेतु वन भूमि 2450 मी0 लम्बाई तथा सिविल भूमि 100 मी0 लम्बाई में तथा 9 मी0 चौड़ाई में कुल क्षेत्रफल 2.295 है0 भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से 103 वृक्ष विभिन्न प्रजातियों का पातन किया जायेगा। (सूची संलग्न) प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना अति आवश्यक है।

संयुक्त निरीक्षण में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी

1. श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, वन दरोगा, रायपुर रेंज, मसूरी वन प्रभाग , मसूरी ।
2. श्री पी0डी0एस0 लिंगवाल, सहायक अभियन्ता , अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड़।
3. श्री अनुराग त्रिपाठी, कनिष्ठ अभियन्ता , अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड़।
4. श्री ~~महादेव~~ माधवानन्द उनियाल राजस्व उपनिरीक्षक, भूत्सी , तहसील धनोल्टी ।
5. श्री दीगपाल सिंह रावत, वन वीट अधिकारी , रिंगालगढ़ वीट , रायपुर रेंज।
6. श्री बचन सिंह मल्याल, अमीन, अस्थायी खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड़।
7. श्री करण सिंह , मेट , अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड़।

लो0नि0वि0 , थत्यूड द्वारा प्रस्तावित रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 3.00 किमी0, है। चौड़ाई 9.00 मी0 प्रस्तावित की गई है जो मसूरी वन प्रभाग रायपुर रेंज के अन्तर्गत रिंगालगढ़ बीट सं0 4 आरक्षित वन भूमि सिविल भूमि एवं नाप भूमि में है।

क्र0सं0	प्रस्तावित मोटर मार्ग में आने वाली भूमि का विवरण	प्रस्तावित कार्य	आरक्षित वन भूमि की लम्बाई चौड़ाई (मीटर में)		
			लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल है0 में
1	आरक्षित वन भूमि	मोटर मार्ग	2450	9	2.205
2	सिविल वन भूमि	मोटर मार्ग	100	9	0.090
3	नाप	मोटर मार्ग	450	9	0.405
		योग	3000		2.700

www.oxfordcom

इस प्रकार प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु कुल आपेक्षित 2.295 है0 वन भूमि व नाप भूमि का निरीक्षण किया गया एवं भूमि की स्थिति समस्त बाधक वृक्षो की गणना कर पेंट से कंमाक अंकित किये गये है। जिनकी सूची तैयार कर पृथक संलग्न की जा रही है। प्रास्तावित संमरेखण से वृक्ष सघन रूप से विद्यमान है एवं स्थल का घनत्व 0.4 है स्थल पर कुल वृक्षों का सारांश सूची में सलग्न है :–

2)

आरक्षित वन भूमि 2.205 तथा सिविल वन भूमि 0.090 है0 कुल 2.295 है0 के दुगने क्षेत्रफल 4.590 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सिविल सोयम भूमि में चयनित किया गया है। जिसका क्षेत्रफल 4.590 है0 है। जिसकी दूरी प्रस्तावित स्थल से लगभग 300 मी0 दूर पर है चयनित क्षेत्र का घनत्व शून्य है । प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु आपेक्षित भूमि न्यूनतम है। एवं प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के संमरेखण हेतु अन्य कोई विकलप नहीं है प्रस्तावित क्षेत्र का इको क्लास IV है।

इस प्रकार प्रस्तावित मोटर मार्ग के लियें आपेक्षित वन भूमि, मसूरी वन प्रभाग की नियंत्रण की 2.205 है0 तथा सिविल वन भूमि 0.090 है0 के हस्तानतरण के पूर्व स्वीकृति एफ0सी0ए0 1980 के तहत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से ली जानी आवश्यक है।

क्षेत्र के ग्रामीणों को यातायात की सुविधा न होने के कारण उक्त प्रस्तावत मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में आम ग्राम सभा का प्रस्ताव , प्रस्तावक विभाग द्वारा सम्बन्धित से लिया जाना आवश्यक होगा।

प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात अथवा आदेश निर्गत किये जाने पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 तथा अन्य धनराशि जो भी उच्च स्तर से निर्धारित की जायेगी उसे प्रस्तावक विभाग जमा करेगा तथा अन्य शर्ते जो तय की जायेगी। प्रस्तावक विभाग उनका अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा वन भूमि हस्तानारण की स्वीकृति प्राप्त होने पर निम्न शर्तो का अनुपालन का प्रस्तावक विभाग द्वारा करना होगा।

1. कार्य स्थल पर प्रस्तावित निर्माण कार्य भू–वैज्ञानिक की भूगर्भीय आख्या/अनुसंशाओं के अनुरुप कराना होगा तथा स्वीकृति के पश्चात समरेखण किसी भी दशा में मान्य नही होगा।
2. निर्माण कार्य के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों , वन सम्पदा को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुचायी जायेगी तथा वन जीवों के आवागमन में कोई अवरोद्ध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
3. निर्माण कार्य के दौरान कार्यरत श्रमिकों द्वारा वन क्षेत्रों से कोई जलोनी लकडी प्रयोग नहीं की जायेगी और न ही वन क्षेत्र को किसी प्रकार की क्षति पहुचायी जायेगी।
4. भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार की स्वीकृति एवं तत्सम्बन्धी सभी शर्तो का पूर्णतयाः अनुपालन कराना होगा एवं शर्तो को अनुपालन करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा।
5. प्रस्तावित मोटर मार्ग की स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य के दौरान उत्पादित मलवा जंगल क्षेत्र में नहीं फेका जायेगा और न ही उत्पादित मलवे से वन क्षेत्र को कोई क्षति पहुचायी जायेगी।

अतः प्रस्तावक विभाग द्वारा उत्पादित मलवे के उचित निस्तारण हेतु डिस्पोजल प्लान बनाना होगा।

www.oxpdf.com

(बचन सिंह मल्याल)
अमीन
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड (टि0ग0)

(अनुराग त्रिपाठी)
कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड (टि0ग0)

(पी0डी0एस0 लिंगवाल)
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड (टि0ग0)

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाईखण्ड,लो.नि.वि.
थत्यूड (टि0ग0)

(दिगपाल सिंह रावत)
वन विटं अधिकारी
रिंगालगढ़ वीट
वनप्रभाग मसूरी

([illegible])
वन दरोगा
रिगालगढ़
वनप्रभाग मसूरी

माधवानन्द
(~~महादेव~~ उनियाल)
राजस्व उपनिरिक्षक
भूत्सी
तहसील धनौल्टी

वनक्षेत्राधिकारी,
रायपुर रेंज
वनप्रभाग मसूरी

राजस्व उपनिरीक्षक
भुत्सी
तहसील-धनौल्टी, (टि0ग0)

तहसीलदार
धनौल्टी
टिहरी गढवाल

उप प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून

उप जिलाधिकारी
धनौल्टी
टिहरी गढवाल

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी